

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

—000—
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2009

क्रमांक एफ-3-74/2008/10-1: राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13500 (Pre-Revised) में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पद पर पदस्थ करता है:-

अ. क्र.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पश्चात् नवीन पदस्थापना
1.	श्री पी.पी.एस.परिहार	प0अ0 सरई, पूर्व सीधी (सा0) व0मं0	स0व0सं0, अनुसंधान एवं विस्तार, रीवा
2.	श्री व्ही.के.दुबे	प0अ0, दमोह (सा0) व0मं0	संलग्न अधिकारी, सतना (सा.) व0मं0
3.	श्री आर.सी.झामोर	प0अ0, सागर, द0 सागर (सा0) व0मं0	स0व0सं0, म0 प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)

2- उक्त आदेश में :- (i) श्री पी.पी.एस.परिहार की पदोन्नति दिनांक 20-8-08 से प्रभावशील मानी जावेगी किन्तु इस तिथि से उनके द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का " काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इनकी वरिष्ठता श्री ए. के.चतुर्वेदी के नीचे एवं श्री आर.के.एस.चौहान, सहायक वन संरक्षक के ऊपर (आगामी पदक्रम सूची में) रहेगी।

(ii) श्री व्ही.के.दुबे की पदोन्नति दिनांक 06-01-09 से प्रभावशील मानी जावेगी किन्तु इस तिथि से उनके द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का " काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। इनकी वरिष्ठता श्री शेखर जंगले के नीचे एवं श्री मुन्नालाल सोनी, सहायक वन संरक्षक के ऊपर (आगामी पदक्रम सूची में) रहेगी।

3- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5- प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये

५३

अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।”

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०पी०राही)
उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2009

पृष्ठां. क.एफ-3-74 / 2008 / 10-1
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3- सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- 8- प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- 9- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./अराज.) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 10- संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी-.....
- 11- संबंधित अधिकारी द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज.) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 12- संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन क्षेत्र



(के०के०कातिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

वन क्षेत्र, वन संरक्षक (अ.राज.)
भोपाल



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

—000—

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2009

क्रमांक एफ-3-74/2008/10-1: राज्य शासन एतद्वारा श्री व्ही.पी.एस.बुन्देला, वन क्षेत्रपाल, दक्षिण पन्ना (सा.) वन मण्डल का दिनांक 20-08-2008 से स्थानापन्न रूप से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए उप प्रबंधक, म०प्र० राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में (प्रतिनियुक्ति पर) पदस्थ करता है।

2- श्री व्ही.पी.एस.बुन्देला को दिनांक 20-08-08 से कार्यभार ग्रहण करने के ठीक पूर्व दिवस तक की अवधि का "काम नहीं वेतन नहीं" सिद्धान्त के आधार पर वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री पी.के.घई, सहायक वन संरक्षक के नीचे एवं श्री एच.पी.सिंह, सहायक वन संरक्षक के उपर (आगामी पदक्रम सूची में) होगी।

3- उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

4- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों, रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5- प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

जोषी वन क्षेत्रपाल

(के०के०कांतिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई, 2009

पृष्ठां. क.एफ-3-74/2008/10-1

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3- सचिव, म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर।



- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 6- प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
- 7- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
- ✓ 8- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज. / अरंज.) मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 9- संबंधित वन संरक्षक.....
- 10- वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण पन्ना (सा.) वन मण्डल।
- 11- संबंधित अधिकारी-श्री व्ही.पी.एस. बुन्देला, वन क्षेत्रपाल, दक्षिण पन्ना (सा.) वन मण्डल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

-00-

कार्यालय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II)
मध्य प्रदेश, भोपाल

सं.क्र. 1/प्रशा-11/जोपनीपं/4106
प्रीतिलिपि -

भोपाल दिनांक 25.07.09

- (1) प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ- भोपाल
- (2) मुख्य वन संचालक चतरपुर वृक्ष चतरपुर की ओर प्रचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) श्री व्ही.पी.एस. बुन्देला, वन क्षेत्रपाल, दक्षिण पन्ना (सा.) वन मण्डल

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28/02/2009

क्रमांक एफ-3-34/2004/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा श्री ए.के.उपाध्याय वनक्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक दिनांक 15-12-05 से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ वेतनमान रूपरेखा 0000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए उन्हें राज्य लघु वनोपज संघ में सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री ए.के.उपाध्याय वनक्षेत्रपाल को "काम नही वेतन नही" सिद्धान्त के आधार पर प्रेरियर्स की पात्रता नही होगी, परन्तु उनकी वरिष्ठता श्री एम.पी.ताम्रकार सहायक वन संरक्षक के उपर तथा श्री व्ही.के.शर्मा के नीचे (आगामी पदक्रम सूची में) की जावेगी।

3/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु.जातियों, अनुसुचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1964 (क्रमांक 21 सन 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कालिवा)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक 28/02/2009

क्रमांक एफ-एफ-3-34/2004/10-1:
प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 2- सचिव म०प्र० लोक सेवा आयोग इंदौर
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा/राज) म०प्र० भोपाल।
- 5- महाप्रबंधक म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ म०प्र० भोपाल।
- 6- वन संरक्षक सागर संभाग सागर म०प्र०
- 5- संबंधित अधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा/राज) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

श.व.के

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

D:\verma\order.doc

2/3/09

28/2/09

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

—000—
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2009

क्रमांक एफ-3-74/2008/10-1: राज्य शासन एतद्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए पद पर पदस्थ करता है:-

अ. क्र.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति पश्चात् नवीन पदस्थापना
1.	श्री अतहर खान	छिन्दवाड़ा वृत्त	उप व०म०अ०, श्योपुरकलां (सा.) श्योपुरकलां (सा.) व०म०
2.	श्री एम.एस. श्रीवास्तव	ग्वालियर वृत्त	उप व०म०अ०, सौंसर (उत्पा.) छिन्दवाड़ा (उत्पा.) व०म०
3.	श्री जे.पी.शर्मा	सागर वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	श्री शेखर जंगले	भोपाल वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
5.	श्री मुन्ना लाल सोनी	का०आ०, बालाघाट	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
6.	श्री राजीव कुमार शर्मा	का०आ०, ग्वालियर	अनुदेशक, वन विद्यालय, अमरकंटक
7.	श्री आनंद प्रताप सिंह बघेल	का०आ० बालाघाट	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
8.	श्री जे.के.परवेकर	इंदौर वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
9.	श्री भगवती लाल पंवार	उज्जैन वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
10.	श्री जी.पी.सोनी	सिवनी वृत्त	अनुदेशक, वन विद्यालय, झाबुआ
11.	श्री रमाकांत शर्मा	बैतूल वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
12.	श्री आर.एस.श्रीवास्तव	खण्डवा वृत्त	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु वनोपज संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
13.	श्री शिवप्रताप सिंह गहरवार	न०घा०वि०प्र०	स०व०सं०, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)
14.	श्री शिवकरण अटोदे	खण्डवा वृत्त (६.०)	स०व०सं०, म०प्र० राज्य लघु

का ०
९.१.०९

7-7-67

			वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
15.	श्री कल्याण सिंह सेंगर 12-10-61	होशंगावाद वृत्त SC	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
16.	श्री कैलाश भदकारे 31-3-64	खण्डवा वृत्त S.C.	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
17.	श्री अशोक कुमार हनवते 15-6-62	छिन्दवाड़ा वृत्त SC	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
18.	श्री लक्ष्मीकांत वासनिक 15-3-71	बालाघाट वृत्त SC	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
19.	श्री गंधु सिंह धुर्वे 6/11/65	सिवनी वृत्त S.T.	अनुदेशक,वन विद्यालय,पचमढी
20.	श्री विजय सिंह कुसरे 10-10-52	छिन्दवाड़ा वृत्त S.T.	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
21.	श्री सुख चन्द्र सरेयाम 3-5-53	न0घा0वि0प्रा0 S.T.	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)
22.	श्री डोमेनिक इक्का 30-5-53	शहडोल वृत्त S.T.	अनुदेशक,वन विद्यालय, गोविन्दगढ़
23.	श्री डी.पी.उइके 24-9-54	होशंगावाद S.T.	स0व0सं0,म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ(प्रतिनियुक्ति पर)

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा, सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ,रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994(क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा(पदोन्नति) नियम,2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।"

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Renu
6/11/09
(रिनु तिवारी)
उप सचिव

Me मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 06 जनवरी, 2009

पृष्ठां. क्र.एफ-3-74/2008/10-1
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी,वन (स्वतंत्र प्रभार)।
- 2- महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।

- 3- सचिव,म.प्र.लोक सेवा आयोग,इंदौर।
- 4- अपर मुख्य सचिव,नर्मदा घाटी विकास विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
- 5- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश,भोपाल।
- 6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्रामी)मध्यप्रदेश,भोपाल।
- 7- प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ,भोपाल।
- 8- प्रबंध संचालक,म.प्र.राज्य वन विकास निगम,भोपाल।
- 9- सदस्य,पर्यावरण एवं वन,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,भोपाल।
- 10- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.राज./अराज.)मध्यप्रदेश,भोपाल।
- 11- संबंधित वन संरक्षक.....
- 12- संबंधित अधिकारी द्वारा-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशा.राज.) मध्यप्रदेश,भोपाल।
- 13- संयुक्त संचालक,जनसंपर्क,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
11/10/08

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

-00-

कार्यालय
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-अराज.)
भोपाल (म.प्र.)

पृ० न० 225

भोपाल दिनांक 12/10/2008.

- निलिपि :-
- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक म० ७० भोपाल
 - 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (W/P) म० ७१ भोपाल
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्रामी) म० ७२ भोपाल
 - 4- प्रबंध संचालक म० ७३ राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल
 - 5- प्रबंध संचालक म० ७४ राज्य वन विकास निगम भोपाल
 - 6- सदस्य पर्यावरण एवं वन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण- भोपाल
 - 7- सहायक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म० ७५
 - 8- सहायक मुख्य वन संरक्षक म० ७६ की ओर कृपया अधिलेख कर्मचारी की अवगत कराने का कष्ट करें।
 - 9- संभालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान भोपाल/म.प्र.

Handwritten signature
प्रशासकीय अधिकारी
अर्थात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक

